फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भादरा

बनाम

महेन्द्र बृजलाल

रस्म मुकदमा रास्ता हटाना नं. 22/18 सन् 31.5.18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
31/5/18	आज यह पत्रावली नकल आदेश इस केस मलसीसर के पाबन्द दर्ज रजिस्टर के पार्टी महेन्द्र व महावीर तथा बृजलाल के बृजलाल उपस्थित। दोनों पक्षकार लम्बा रास्ता प्रस्तावित भूमि में रास्ता स्वीकृत करने हेतु सहमत है एक 50/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति पत्र लिखित रूप से पेश किया गया है दोनों पक्षों की पहचान की है। मौका रास्ता भूमि का हटा की गई है अतः मुतालिक स्थानान्तरण खेती मौजा चक 15AMJ के खसरा 56 के बिन 17 में 0.13 है बि.न. 25 में 0.003 है तथा खसरा 56 के बिन 24/1 में 0.010 है खसरा 57 के बि.न 4 में 0.013 है, 7 में 0.003 है भूमि में पाश्चिम दिशा के उत्तर के दक्षिण रास्ता स्वीकृत किया जाता है जिसके लिए किसी प्रकार की राशि या भूमि का आदान नहीं होगा। तहसीलदार भादरा को आदेश करने है। रिकॉर्ड दुरुस्त किया। पत्रावली इकरार नामे के है।	महेन्द्र महावीर बृजलाल पहचान कर्ता (हनुमान सिंह)

अध्यक्ष
लोक अदालत भादरा
कैम्प: मलसीसर

सदस्य
लोक अदालत
भादरा